बिहार मानवाधिकार आयोग (बी०एच०आर०सी०)

९, बेली रोड, पटना

संचिका संख्या– BHRC/Comp.– 236/4/26/2021-PCD

<u>Suo-Motu Cognizance</u>

विषय : पटना जिलान्तर्गत गौरीचक थाना में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत से संबंधित मामला।

<u>11.01.2021</u>

कई स्थानीय समाचार–पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि **बिहार राज्य के पटना जिला के अन्तर्गत गौरीचक थाना में पुलिस अभिरक्षा में एक 30 वर्षीय व्यक्ति, धर्मेन्द्र मांझी, की पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गयी है।**

उपरोक्त मामला काफी गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है तथा **प्रथम दृष्टया मानवाधिकार अतिक्रमण का मामला प्रतीत हो रहा है।**

आयोग द्वारा **स्वप्रेरणा से प्रसंगाधीन मामले का संज्ञान लिया जा रहा है।**

इसे पंजीकृत करें।

समाचार–पत्रों में प्रकाशित प्रसंगाधीन मामले से संबंधित समाचारों की कटिंग की छाया–प्रति संलग्न कर दिनांक 11.02.2021 के पूर्व **जिला पदाधिकरी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से** प्रसंगाधीन धटना से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग करें साथ–ही–साथ **धर्मेन्द्र मांझी, की पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति के संबंध में भी तत्काल प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध किया जाय।**

पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति एवं समाचार–पत्र की कर्टिंग की छाया प्रति फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भी जिला पदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को भेजी जाय।

संचिका दिनांक 18.02.2021 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक